

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2021—चैत्र 15, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. 5182-184-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 197, दिनांक 3 अप्रैल 2021 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 16 सन् 2021) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंको तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) 26 मार्च	394	4	2 अप्रैल
(2) 30 मार्च	394	4	3 अप्रैल
(3) निरसित	394	25	निरसन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

401